रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1992/वैशाख 24, 1914
No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1992/VAISAKHA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि एवं न्याय मंत्रालय]

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

सा.का.नि. 494(अ).—राष्ट्रपति द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 31 की उपधारा (2) के साथ पठित अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 (1986 का 69) की धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए निम्नलिखित आदेश को उक्त प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है अर्थात :—

गुवाहटी उच्च न्यायालय अगरतल्ला में एक स्थायी पीठ की स्थापना आदेश, 1992

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81), की धारा 31 की उप-धारा (2) के साथ पठित अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 24 की उप धारा (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और त्रिपुरा के राज्यपाल से परामर्श करके, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :(1) यह आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय (अगरतल्ला में एक स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1992 कहलाएगा ।

(2) यह 16 मई, 1992 से प्रवृत्त होगा ।

2. अगरतल्ला में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना :—अगरतल्ला में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर उस उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को नामित करेंगे जिनकी संख्या तीन से कम नहीं होगी, जो अगरतल्ला पीठ में बैठेंगे और त्रिपुरा राज्य में वर्जे मामलों के संबंध में कुछ समय के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करेंगे ।

बशर्ते कि उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार से आदेश दे सकेंगे कि त्रिपुरा राज्य में वर्जे कोई मामला अथवा मामलों की किसी श्रेणी की सुनवाई गुवाहाटी में ही होगी ।

नई दिल्ली
दिनांक 14 मई, 1992

राष्ट्रपति,
[एफ नं. के 11018/1/92-डेस्क-1]
एस.के. के-बोस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1992

G.S.R.494(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of Section 24 of the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), read with sub-section (2) of section 31 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), is hereby published as required by the said provisions, namely :—

THE GAUHATI HIGH COURT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT AGARTALA) ORDER, 1992

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), read with sub-section (2) of section 31 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President, after consultation with the Chief Justice of the Gauhati High Court and the Governor of Tripura, is pleased to make the following Order, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) This Order may be called the Gauhati High Court (Establishment of a permanent Bench at Agartala) Order, 1992.

(2) It shall come into force on the 16th day of May, 1992.

2. Establishment of a permanent Bench of Gauhati High Court at Agartala :—There shall be established a permanent Bench of the Gauhati High Court at Agartala, and such Judges of the Gauhati High Court, being not less than three in number, as the Chief Justice of that High Court may, from time to time nominate, shall sit at Agartala in order to exercise the jurisdiction and powers for the time being vested in the Gauhati High Court in respect of cases arising in the State of Tripura.

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in the State of Tripura shall be heard at Gauhati.

New Delhi :
14th May, 1992

PRESIDENT

[F. No. K. 11018|1|92-DESK-I]

S. K. BOSE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992